



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58595

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - सी संख्या - 10551/2026**

रीता

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

---

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : प्रमोद कुमार सिंह, त्रिपाठी बी.जी. भाई

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

---

**न्यायालय संख्या - 18**

**माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिपाठी बी.जी. भाई, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एस. चौहान और प्रत्यर्थी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता को सुना।
2. वर्तमान याचिका प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 24.02.2026 के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर द्वारा पारित जांच रिपोर्ट दिनांक 29.09.2025 को रद्द करते हुए उत्प्रेषण की रिट जारी करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि लोकनाथ के पुत्र श्री सत्य प्रकाश ने हलफनामे के बिना शिकायत की, जिसके अनुसार एक जांच की गई और दिनांक 25.05.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके बाद, 05.07.2025 को इसी तरह से एक और शिकायत की गई और 18.07.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके बाद, दिनांक 21.04.2025 और 05.07.2025 की शिकायतों की सामग्री को जोड़ा गया और 21.07.2025 को एक समेकित शिकायत की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपरोक्त शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए, एक प्रारंभिक जांच की गई थी, और 29.09.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त समिति की संरचना, जिसने दिनांक 29.09.2025 को प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इस प्रकार थी: -

(i) वेद प्रकाश वर्मा (कनिष्ठ अभियंता)

(ii) अजय कुमार श्रीवास्तव (जिला आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, संत कबीर नगर)

(iii) डा प्रभात कुमार द्विवेदी (उपायुक्त, आरईआरए)

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि सदस्यों में से एक जिला स्तरीय अधिकारी नहीं था। उन्होंने *विवेकानंद यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2010 (10) एडीजे 1 (एफबी)* और *महमूद अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य, 2019 (2) एडीजे 381* के प्रकरण में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ पर भरोसा किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज (प्रधानों, उप-प्रधानों और सदस्यों को हटाना) जांच नियमावली, 1997 के नियम 3 और 4 पर भरोसा किया है, यह बताने के लिए कि प्रधान के खिलाफ शिकायत करने वाला कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी भी अधिकारी अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट को शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, नियम 3(1) में निर्दिष्ट शिकायत शिकायतकर्ता के स्वयं के हलफनामे द्वारा समर्थित होगी; जबकि, वर्तमान प्रकरण में, शिकायतकर्ता द्वारा ऐसा कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया था।

7. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि राज्य सरकार, शिकायत प्राप्त होने पर, नियमावली, 1997 के नियम 3 में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है, या अन्यथा जांच अधिकारी को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दे सकती है। प्रारंभिक जांच करने के लिए आवश्यक जांच अधिकारी जिला स्तरीय अधिकारी होना चाहिए; जबकि, वर्तमान प्रकरण में, यह स्वीकार किया जाता है कि एक कनिष्ठ अभियंता, जो सदस्यों में से एक था, जिला स्तरीय अधिकारी नहीं था। उन्होंने आगे *नरेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2013 (1) एडीजे 228* में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है और तर्क दिया है कि एक बार जिला मजिस्ट्रेट को शिकायत भेजी गई है, जो नियम 3 के उप-नियम (2) में प्रदान की गई विधि से होगी, शिकायत प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट, जांच अधिकारी को नियमों के नियम 5 के तहत प्रारंभिक जांच



करने का आदेश देगा; और जहां जिला मजिस्ट्रेट की राय है, उप-नियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा, कि प्रधान या उप-प्रधान या सदस्यों के विरुद्ध जांच की जानी चाहिए, वह तत्काल एक तीन सदस्यीय समिति का गठन करेगा और एक आदेश द्वारा एक जांच अधिकारी से पूछेगा, पूर्व में नामित जांच अधिकारी के अलावा, जांच करने के लिए। तथापि, प्रारंभिक जांच करने के लिए जांच अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया जाने वाला कोई अन्य जिला स्तरीय अधिकारी होना चाहिए।

8. न्यायालय, अधिनियम और नियमों और स्वीकृत स्थिति के अवलोकन पर, प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि प्रारंभिक जांच, जो धारा 95(1)(जी) के तहत कार्यवाही की उत्पत्ति है, उपरोक्त नियमों का उल्लंघन थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती थी, अधिनियम की धारा 95 (1) (जी) के तहत आदेश तो दूर की बात है।

9. अब, इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या आक्षेपित आदेश, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां समाप्त कर दी गई हैं, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करती है या नहीं।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जिला मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो तैयार संदर्भ के लिए यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

*"इस प्रकार प्रारम्भिक जांच आख्या के सापेक्ष ग्राम प्रदान जांच आख्या में बिन्दु संख्या-1 में रु0 394530.00, बिन्दु संख्या-2 में कुल तीन परियोजनाओं पर मु 728854.00रु0, बिन्दु संख्या-3 में रु0 3408.00, बिन्दु संख्या-4 में कुल तीन परियोजनाओं पर मु0982548.00रु0 अर्थात् कुल मु02109340.00रु0 (रु0 इक्कीस लाख नौ हजार, तीन सौ चालीस मात्र) की प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता ग्राम प्रदान, सम्बन्धिक ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक एवं ग्राम रोजगार सोयम, विकास खण्ड- सेमरियावां द्वारा किया जाना पाया गया है।"*

11. उपरोक्त निष्कर्षों के अवलोकन से यह संकेत नहीं मिलता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर पर भी विचार किया था। जिला मजिस्ट्रेट ने न केवल याचिकाकर्ता की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े, बल्कि नियम 256 से 260 के साथ पठित धारा 27 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21,09,340/- रुपये की वसूली का भी निर्देश दिया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि धारा 95 (1) (जी) और धारा 27 के तहत



कार्यवाही स्वतंत्र कार्यवाही है और इसे विलय नहीं किया जा सकता था; हालांकि, जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 95(1)(जी) और धारा 27 दोनों के तहत एक आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े हैं।

12. इस मोड़ पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि, आक्षेपित आदेश में न्यायालय द्वारा नोट की गई अवैधता को देखते हुए, इसे रद्द किया जा सकता है और प्रकरण को नए सिरे से विचार के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजा जा सकता है।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 24.02.2026 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और प्रकरण को नए सिरे से विचार के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 को वापस प्रेषित किया जाता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 21.07.2025 की शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू करते समय, जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधानों, उप-प्रधानों और सदस्यों को हटाने) जांच नियमावली, 1997 के नियम 3, 4 और 5 का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। प्रत्यर्थी-प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पेटिशनर को उचित अवसर देने के बाद, आज से 3 महीने के भीतर पूरी कार्यवाही पूरी हो जाए। यदि वे नियम 256 के साथ पठित धारा 27 के तहत कार्यवाही का प्रस्ताव करते हैं, तो यह एक अलग कार्यवाही होनी चाहिए, जैसा कि विधि अनुसार माना जाता है।

14. याचिका स्वीकृत किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन)

20 मार्च, 2026

पीयूष